केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
नई दिल्ली

3 जुलाई, 2015

अधिसूचना

सं.एल–1/44/2010–केविविआ : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के भाग V के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, समय–समय पर, यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों एवं हानियों की हिस्सेदारी)(चौथा संशोधन) विनियम, 2015 है।

(2) ये विनियम 1 जून 2015 से प्रवृत होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (V) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड जोड़े जाएंगेः

"(ब) आईएसटीएस नेटवर्क के उपयोग के लिए कोई पारेषण प्रभार वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए ई–बिड आरएलएनजी से वृद्धिशील गैस आधारित उत्पादन के लिए प्रभारित नहीं किया जाएगा।

(भ) आईएसटीएस नेटवर्क के उपयोग के लिए वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए ई–बिड आरएलएनजी से वृद्धिशील गैस आधारित उत्पादन हेतु कोई पारेषण हानियां नहीं होंगी।"

हस्ता/–
(शुभा शर्मा)
सचिव

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3, खंड 4, क्रम संख्या 162 तारीख 16.6.2010 को प्रकाशित किए गए थे। मूल विनियम के प्रथम संशोधन को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3, खंड 4 क्रम संख्या 229 में 25.11.2011 को जारी किया गया था, दूसरा संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3, खंड 4 क्रम संख्या 76 में 28.3.2012 को जारी किया गया था और तीसरा संशोधन मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3, खंड 4, क्रम संख्या 118 में 7.4.2015 को जारी किया गया था।